"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 276] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 जुलाई 2018 — श्रावण 8, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ10-20/2011/1/5. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2012 में संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, -

1. अनुसूची - एक में, सरल क्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	योग प्रशिक्षक	01	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	9300-34800	4200

2. अनुसूची - दो में, सरल क्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	योग प्रशिक्षक	01	100%	-	-	राज्य शासन के विभागों से प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति पर पद भरे जायेंगे.

3. अनुसूची - तीन में, सरल क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1.	योग प्रशिक्षक	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से योग के किसी शाखा में स्नातक उपाधि होना चाहिये. अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक उपाधि होना चाहिये तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से योग में एक वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा होना चाहिये.

No. F 10-20/2011/1/5.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Academy of Administration (Ministerial and Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2012, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In Schedule -I, for serial number 2 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Yoga Instructor	01	Class-III (Non-ministerial)	9300-34800	4200

2. In Schedule -II of the rules, for the entries relating to serial number 2, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Yoga Instructor	1	100%	-	-	The post shall be filled on deputation from state Government Departments/ Contractual appointment.

3. In Schedule -III, for serial number 1 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.	Yoga Instructor	21 years	35 years	Should have Graduation Degree in any branch of Yoga form recognized University/Institute. or Should have Graduation Degree from recognized University/ Institute and have one year full time Diploma in Yoga form any recognized University/Institute.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.